

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं० एम० 133/2021

प्रथम पक्ष— जकलू साहु ।

बनाम

द्वितीय पक्ष— एतवा साहु वगैरह ।

द्वारा 107 द० प्र० सं०

आदेश की
सं०
तिथि

दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई
टिप्पणी एवं
तिथि

1

2

3

उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 01/2021 दिनांक 25/01/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) जकलू साहु उम्र 45 वर्ष पिता स्व० कन्दरा साहु, ग्राम सिडिबिडा, थाना-बसिया जिला-गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) एतवा साहु उम्र 36 वर्ष (2) भुआ साहु उम्र 52 (3) मंगरा साहु उम्र 45 वर्ष तीनों पिता स्व० फागु साहु ग्राम-सिडिबिडा थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद का तनाव को लेकर विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार द०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।

निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित।

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया (गुमला)